फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रमली उर्फ प्रभली देवी व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी विराटनगर व अन्य

प्रकरण संख्या 250 /2022 (मुंतकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
07.11.2022	दरख्वास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 230/2022 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 134/2022 ब–उनवानी प्रमली देवी व अन्य बनाम जम्भूरी देवी व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। विपक्षीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.11.2022 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर	
29.11.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नितिन मिश्रा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जबाब पेश करते हुये अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के पीठासीन अधिकारी श्री राजीव सिंह यादव आर॰ ए॰एस॰ की जगह गरिमा शर्मा आर॰ए॰एस॰ का पदस्थापन हो गया है। प्रार्थी अधिवक्ता इस कथन से सहमत है। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । उपखण्ड अधिकारी विराटनगर पद पर नई पीठासीन अधिकारी गरिमा शर्मा आर॰ए॰एस॰ का पदस्थापन हो जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री राजवीर सिंह यादव के विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर	